संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी,हबीबगंज पुलिस थाना के पास,भोपाल–462016
E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक / 3114 / वि.यो.496 / नग्रानि / 2020 भोपाल, दिनांक 19-8-2020

प्रति,

आयुक्त,
जन सम्पर्क संचालनालय,
म.प्र. भोपाल

विषयः– झाबुआ विकास योजना में उपांतरण की सूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत्।

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, संचालनालय द्वारा तैयार की गई एवं राज्य शासन द्वारा अनुमोदित झाबुआ विकास योजना में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसे म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 के प्रावधानांतर्गत तत्संबंधी सूचना (हिन्दी) की पॉच–पॉच प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न हैं। उक्त सूचना को झाबुआ नगर क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले कम से कम दो हिन्दी के समाचार पत्रों में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नः यथोपरि

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

पृ0क्रमांक / / वि.यो.496 / नग्रानि / 2020 भोपाल, दिनांक 2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय झाबुआ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

''कचनार'' ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी,हबीबगंज पुलिस थाना के पास,भोपाल–462016
E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक/3114 /वि.यो.496/नग्रानि/2020 भोपाल, दिनांक 19-8-2020

झाबुआ विकास योजना, 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि झाबुआ विकास योजना, 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : –

1 आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
2 कलेक्टर, जिला झाबुआ
3 सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय झाबुआ, म.प्र.
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, झाबुआ, म.प्र.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	झाबुआ विकास योजना, 2011	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6–सा–15	4	**सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग****
		कृषि	6	6–सा–15	7	**सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगे।**

व्याख्या–

i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

ii.	** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।	
iii.	*** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।	
टीप :—	**उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।**	

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में '' मध्य प्रदेश राजपत्र'' में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र.भोपाल